/ /निर्णय/ /

(आज दिनांक 12.10.20222 को घोषित)

1— आरक्षी केन्द्र नाहरगढ़ जिला मंदसौर द्वारा अभियुक्त/अभियुक्त जाफर पिता छोटे खां, जाति—मुसलमान, उम्र—30 वर्ष, निवासी—ग्राम बिल्लोद तह मल्हारगढ़, जिला मंदसौर म.प्र. के विरूद्ध धारा—**34(1)** आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोगपत्र पेश किया गया।

2— प्रकरण में अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा—**34(1)** आबकारी अधिनियम के तहत अपराध विवरण निर्मित कर उन्हें पढकर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त/अभियुक्तगण ने स्वेच्छया अपराध का किया जाना स्वीकार किया, तदानुसार उसका अभिवाक् अंकित किया गया।

3— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोगपत्र, प्रथम सूचना प्रतिवेदन एवं सहपत्रों तथा अभियुक्त/अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा—**34(1)** आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।

4— प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 3 व 4 परीवीक्षा अधिनियिम के अंतर्गत परीवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। साधारण प्रकृति का अपराध है, अपराध की प्रकृति को देखते हुए एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त/अभियुक्तगण को कारावास से दंडित किया जाना भी उचित प्रतीत नहीं होता है ।

5— अतः अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा—**34(1) आबकारी** अधिनियम के आरोप में रूपये **600/—(छः सौ रूपये मात्र)** के अर्थदंड से एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है।

6— प्रकरण में जप्त **05 लीटर हाथभट्टी की कच्ची शराब** अपील अवधि बाद नष्ट हो। अपील होने की दशा में अपीलीय आदेश का पालन किया जावे ।

Sakshi 12/10/22
(श्रीमती साक्षी प्रसाद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
नारायणगढ जिला मंदसौर (म.प्र.)

Sakshi 12/10/22
(श्रीमती साक्षी प्रसाद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
नारायणगढ जिला मंदसौर (म.प्र.)